

सुभाष भंडारी और अन्य आदि

बनाम

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लखनऊ और अन्य

नवंबर 3, 1987

[ए. पी. सेन और बी. सी. रे, न्यायाधिपतिगण]

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980: धारा 3 - हिरासत - हिरासत के आधार - हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि - एकान्त आपराधिक कृत्य - क्या और कब नजरबंदी आदेश बनाने के लिए विचार किया जा सकता है।

अपीलकर्ता पीडब्ल्यूडी को गिट्टी की आपूर्ति के ठेकेदार थे। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लिया गया था। हिरासत के आधार में यह कहा गया था कि व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण, अपीलकर्ताओं और उनके साथियों ने शिकायतकर्ता पर आग्नेयास्त्रों और हथगोले से उसे मार डालने के लिये हमला किया, शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी, उनके खिलाफ धारा 147, 149, 307 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। और विस्फोटक अधिनियम की धारा 6, और अपीलकर्ताओं के खिलाफ दायर एक आरोप पत्र, और चूंकि उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया था, और अगर रिहा किया गया तो संभावना थी कि वे फिर से सार्वजनिक व्यवस्था का

उल्लंघन करने वाली गतिविधियां शुरू कर देंगे, इसलिए उन्हें हिरासत में लेना आवश्यक था। ताकि उन्हें ऐसा कृत्य करने से रोका जा सके।

हिरासत के आदेशों को राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3(4) के तहत मंजूरी दे दी गई थी, और अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था और उन्हें 12 महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया था।

अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता पर कथित हमले ने केवल एक व्यक्ति को प्रभावित किया और इस तरह के अकेले कृत्य को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कार्य नहीं माना जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हमला शिकायतकर्ता को सबक सिखाने और संभावित निविदाकारों को चेतावनी देने के लिए था, जो अपनी निविदाएं जमा करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं और अधिनियम का प्रभाव और पहुंच इससे कहीं अधिक है। व्यक्तिगत और उन ठेकेदारों के समुदाय को प्रभावित किया जो सार्वजनिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए ठेके लेते हैं।

न्यायालय में अपील को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया

सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी को व्यक्तियों के खिलाफ निर्देशित कृत्यों से अलग किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक शांति में सामान्य गड़बड़ी पैदा करने की सीमा तक समाज को परेशान नहीं करते हैं। कोई भी कार्य अपने आप में उसकी गंभीरता का निर्धारक नहीं होता। अपनी गुणवत्ता में यह दूसरे से भिन्न नहीं हो सकता है लेकिन अपनी क्षमता में यह भिन्न हो सकता है। [778 सी-डी)

चूक या कमीशन के एक अकेले कार्य को व्यक्तिपरक रूप से संतुष्ट होने के लिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा हिरासत का आदेश पारित करने के लिए विचार किया जा सकता है यदि कार्य की पहुंच, प्रभाव और क्षमता ऐसी है कि यह आतंक और आतंक पैदा करके सार्वजनिक शांति को परेशान करता है। किसी निर्दिष्ट इलाके में वह समाज या बड़ी संख्या में लोग जहां कृत्य किए जाने का आरोप है। यह समाज पर अधिनियम की पहुंच की डिग्री और सीमा है जो इस सवाल पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या किसी व्यक्ति ने केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया है या सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने वाले तरीके से कार्य किया है। [779 ए-सी]

मौजूदा मामले में, आग्नेयास्त्रों से हमले का कथित कृत्य शिकायतकर्ता के संबंधित है, दूसरों से नहीं। यह कानून एवं व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला कृत्य है और इस कृत्य की पहुंच और प्रभाव इतना

व्यापक नहीं है कि समाज के बड़े सदस्यों को प्रभावित कर सके। दूसरे शब्दों में, यह कृत्य सार्वजनिक शांति को भंग नहीं करता है, न ही यह इलाके के लोगों के मन में कोई आतंक या घबराहट पैदा करता है और न ही यह किसी भी तरह से समुदाय के जीवन की सम गति को प्रभावित करता है। यह आपराधिक कृत्य बंदी और शिकायतकर्ता के बीच व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न होता है। इसलिए, ऐसा कृत्य हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए इस आधार पर हिरासत का आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकता है कि विवादित अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था यानी समुदाय के जीवन की सम गति को प्रभावित करने का इरादा रखता है, जो निरुद्धि के आदेश पर रोक लगाने के लिए एकमात्र आधार है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता के व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई और न ही कार को कोई नुकसान पहुंचाया गया, हालांकि कार पर हथगोला फेंकने का आरोप लगाया गया था। कार पर भी कोई निशान नहीं आया है. [778 ई-एच]

गुलाब मेहरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 4 जेटी 1987 3 एससी 559, - लागू किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 558 और 559/1985

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. संख्या 5805 और 5806/1985 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.2.85 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से मोहन पांडे।

प्रतिवादियों की ओर से योगेश्वर प्रसाद और दलवीर भंडारी।

न्यायालय का निर्णय बी. सी. रे द्वारा सुनाया गया।

विशेष अनुमति द्वारा ये दो अपीलें 14 फरवरी, 1985 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध हैं। रिट याचिका संख्या 5806 /1984 और रिट याचिका संख्या 5805 /1984 के साथ-साथ रिट याचिका संख्या 309 /1985 को खारिज करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 धारा 3 (2) के तहत क्रमशः 1 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 1984 को अपीलकर्ताओं के खिलाफ हिरासत का आदेश पारित किया गया, को कानूनी और वैध रखा गया⁸ ।

हिरासत के आदेश की प्रति, साथ ही हिरासत के आधार और पहली सूचना रिपोर्ट जिसके आधार पर हिरासत का आदेश दिया गया था, अपीलकर्ताओं को उनकी हिरासत के समय दी गई थी। हिरासत के आधार इस प्रकार हैं:-

"दिनांक 25.9.1984 को श्री सूर्य कुमार पुत्र श्री विश्व पाल निवासी 33, बाबूगंज, थाना हसनगंज, जिला लखनऊ ने थाना हजरतगंज, लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक

15.9.1984 को बाल आपूर्ति के लिए एक टेंडर हुआ था - अंतिम बार पी.डब्ल्यू.डी. में जिसमें उनके द्वारा के.पी. सिंह के नाम से टेंडर डाला गया था। आप लोग के.पी. सिंह के साथ शेयर रखते हैं। आपके और के.पी. सिंह के आतंक के कारण कोई अन्य व्यक्ति आप लोगों के खिलाफ कोई टेंडर नहीं डालता है जिसके कारण आप लोग अपनी पसंद की दरो टेंडर प्राप्त करते हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति अपनी निविदा डालता है तो आप और के.पी. सिंह उसे आतंकित करते हैं। 15.9.1984 को उसकी निविदा की दरें कम होने के कारण शिकायतकर्ता की निविदा को एक समूह में और शेष समूहों में स्वीकार कर लिया गया था। के.पी. सिंह आदि की निविदाएं स्वीकार कर ली गयीं। इस कारण आप तथा के.पी. सिंह शिकायतकर्ता से द्वेष रखते थे।

25.9.1984 को अपराह्न लगभग 3.45 बजे जब सूर्य कुमार अपने टेंडर के सिलसिले में अपनी ऐबेसडर कार संख्या यूएसएस-7418 में अपने बहनोई के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के सामने जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ ठेकेदारों को देखा। उनके पास पहुंचकर शिकायतकर्ता ने उनसे बात करना शुरू ही किया था, तभी अचानक दो कारों में आप पिस्तौल के साथ, फूल चंद्र एक रिवॉल्वर के साथ, जलील एक रिवॉल्वर

के साथ, अशोक देसी कट्टा के साथ, अशोक सोनकर और सर्रिफ हथगोले के साथ और शंकर डे बंदूक के साथ तीन अन्य व्यक्तियों के साथ आए और शिकायतकर्ता को मारने के इरादे से शिकायतकर्ता पर गोलीबारी की, हथगोले फेंके जो शिकायतकर्ता की कार पर गिरे। नतीजतन, हंगामा मच गया। यातायात बाधित हुआ और सार्वजनिक शांति भंग हुई। शिकायतकर्ता तुरंत अपनी जान बचाकर अपनी कार में बैठकर भाग गया। शिकायतकर्ता द्वारा उपरोक्त सूचना पर आपके व आपके अन्य साथियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 307 आई.पी.सी और विस्फोटक अधिनियम की धारा 6 के तहत थाना हजरतगंज पर मु0अ0सं0 1034 पंजीकृत किया गया और जांच के बाद उक्त अपराध के लिए आपके खिलाफ आरोप पत्र संख्या 279 दायर किया गया है।

उक्त अपराध के लिए मुझे भी आपके विरुद्ध खड़ा किया गया है।

मुझे यह भी पता चला है कि आपकी ओर से एक सक्षम न्यायालय में जमानत देने के लिए आवेदन दायर किया गया है, इसलिए, यदि आप जेल से जमानत पर बाहर आते

हैं तो आप फिर से सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वाली गतिविधियां शुरू कर देंगे।

उपरोक्त आधार पर, मैं संतुष्ट हूँ कि सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से आपके कार्य करने की संभावना है और आपको ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए, आपको हिरासत में लेना आवश्यक है।"

हिरासत के उक्त आदेश को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(4) के तहत राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने हिरासत के आधारों के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया। सरकार द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया और इसकी सूचना संयुक्त सचिव, सतर्कता एवं गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई। 26 नवम्बर 1984 को सचिव, सतर्कता एवं गृह विभाग, उ.प्र. सरकार द्वारा अपीलकर्ताओं को सूचित किया गया कि सरकार ने सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हिरासत के आदेश की पुष्टि की थी और निर्देश दिया था कि अपीलकर्ताओं को क्रमशः 1 अक्टूबर, 1984 और 20 अक्टूबर, 1984 से 12 महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा जाए।

हिरासत के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिए गए हिरासत के आदेश को रद्द करने और उन्हें मुक्त

करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन दायर किया। इन्हें रिट याचिका संख्या 5806 /1984 और रिट याचिका संख्या 5805 /1984 के रूप में पंजीकृत किया गया था। समान आधार पर हिरासत में लिए गए एक अन्य बंदी ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 309 /1985 दायर की थी।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से मुख्य तर्क यह था कि कथित तथ्यों के आधार पर, अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि मामला कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है। यह सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डालने से जुड़ा मामला नहीं था। सूर्य कुमार पर हमला व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न दुर्भावना के कारण ही हो सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है और अपीलकर्ताओं की ओर से चूक के कथित कार्य से समाज या समुदाय प्रभावित नहीं होता है। इसलिए इससे सार्वजनिक व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। आगे यह भी तर्क दिया गया कि एक अकेले कार्य को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य नहीं माना जा सकता है।

पक्षों को सुनने और अपने समक्ष उद्धृत निर्णयों पर विचार करने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया कि क्या कोई अधिनियम केवल कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करता है या समुदाय के जीवन की

सम गति को प्रभावित करता है, यह देखा जाना चाहिए कि क्या है समग्र रूप से समाज पर विचाराधीन अधिनियम के प्रभाव की सीमा; क्या प्रभाव केवल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है या यह घटना के शिकार लोगों के अलावा सामान्य रूप से लोगों के मन में असुरक्षा, खतरे और आशंका की भावना पैदा करता है; क्या कार्य या कृत्य समाज या समाज के एक वर्ग के जीवन की सम गति को बाधित करते हैं; क्या इस कृत्य से सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है या केवल कानून व्यवस्था बिगड़ती है। उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि इस संदर्भ में किया गया कृत्य शिकायतकर्ता को सबक सिखाने और भविष्य में संभावित निविदाकारों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने के अवसर का लाभ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। यह भी पाया गया कि विचाराधीन अधिनियम का प्रभाव और पहुंच व्यक्ति से परे है और उन ठेकेदारों के समुदाय को प्रभावित करता है जो सार्वजनिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए अनुबंध लेते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा दिया गया हिरासत का आदेश कानूनी और वैध है और रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

निस्संदेह, सूर्य कुमार द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धारा 147/148/149/307 आई.पी.सी. के तहत तथा विस्फोटक अधिनियम

की धारा 5 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 1034 दर्ज किया गया है तथा उक्त मामला आपराधिक न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है।

निर्णय के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम हिरासत के आधारों का उल्लेख कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ किया गया है या अधिनियम की पहुंच और क्षमता इतनी गहरी है कि यह समाज को सार्वजनिक शांति में सामान्य गड़बड़ी पैदा करने की हद तक परेशान कर सकती है।

यह अब इस न्यायालय के कई फैसलों से अच्छी तरह से तय हो गया है (नवीनतम गुलाब मेहरा बनाम यूपी राज्य और अन्य, 4 जेटी 1987(3) एससी 559 फैसला है जिसमें मामला हमारे द्वारा 15 सितंबर, 1987 को सुनाया गया था) वह सार्वजनिक व्यवस्था पूरे देश या यहां तक कि एक निर्दिष्ट इलाके को ध्यान में रखते हुए समुदाय के जीवन की सम गति है। सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी को व्यक्तियों के खिलाफ निर्देशित कृत्यों से अलग किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक शांति में सामान्य गड़बड़ी पैदा करने की सीमा तक समाज को परेशान नहीं करते हैं। यह अशांति की डिग्री और किसी इलाके में समुदाय के जीवन पर इसका प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि क्या अशांति केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन है या यह सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। इस न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया है कि कोई भी कार्य स्वयं अपनी

गंभीरता का निर्धारक नहीं है। अपनी गुणवत्ता में यह दूसरे से भिन्न नहीं हो सकता है लेकिन अपनी क्षमता में यह बहुत भिन्न हो सकता है। इसलिए यह अधिनियम का प्रभाव, पहुंच और क्षमता है जो कुछ परिस्थितियों में समुदाय के जीवन की सम गति को प्रभावित करती है और इस प्रकार सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। इस तरह के व्यक्तिगत कृत्य पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ हिरासत का आदेश पारित करते समय विचार किया जा सकता है जिस पर कार्य करने का आरोप है।

मौजूदा मामले में आग्नेयास्त्रों से हमले का कथित कृत्य शिकायतकर्ता सूर्य कुमार तक ही सीमित है, दूसरों तक नहीं। यह कानून एवं व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला कृत्य है और इस कृत्य की पहुंच और प्रभाव इतना व्यापक नहीं है कि समाज के बड़े सदस्यों को प्रभावित कर सके। दूसरे शब्दों में, यह कृत्य सार्वजनिक शांति को भंग नहीं करता है, न ही इलाके के लोगों के मन में कोई आतंक या आतंक पैदा करता है और न ही यह किसी भी तरह से समुदाय के जीवन की गति को प्रभावित करता है। यह आपराधिक कृत्य बंदी और शिकायतकर्ता के बीच व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसा कृत्य इस आधार पर हिरासत का आदेश पारित करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि का आधार नहीं हो सकता है कि विवादित अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था यानी समुदाय के जीवन की सम गति को

प्रभावित करने वाला है जो हिरासत का आदेश तय करने का एकमात्र आधार है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता सूर्य कुमार को कोई चोट नहीं पहुंचाई गई और न ही कार को कोई नुकसान पहुंचाया गया, हालांकि कार पर हैंड ग्रेनेड फेंकने का आरोप लगाया गया था। कार पर भी कोई निशान नहीं आया है, इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि तथ्यों और परिस्थितियों पर विधिवत विचार करने के बाद अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय द्वारा जुलाई, 1985 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। एक वर्ष की अवधि भी समाप्त हो गई है। हम यहां पहले ही यह मान चुके हैं कि चूक या किये जाने के एक अकेले कार्य को व्यक्तिपरक रूप से संतुष्ट होने के लिए विचार किया जा सकता है, यदि कार्य की पहुंच, प्रभाव और क्षमता ऐसी है तो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा हिरासत का आदेश पारित किया जा सकता है। यह समाज में या किसी निर्दिष्ट इलाके में, जहां कृत्य किए जाने का आरोप है, काफी संख्या में लोगों में आतंक और आतंक पैदा करके सार्वजनिक शांति को बाधित करता है। इस प्रकार यह समाज पर अधिनियम की पहुंच की डिग्री और सीमा है जो इस सवाल पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या किसी व्यक्ति ने केवल कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया है या सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने वाले तरीके से कार्य किया है।

इस संबंध में यह नोट करना उचित है कि अशोक अरोड़ा और अशोक कुमार सोनकर द्वारा दायर एक ही घटना और हिरासत के समान आधारों से

उत्पन्न आपराधिक अपील संख्या 826 और 827 /1985 को इस माननीय न्यायालय द्वारा 29 नवंबर, 1985 को स्वीकार किया गया है और अपीलकर्ताओं को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्त कारणों से, हम लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की स्वीकार करते हैं।

एन.पी.वी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।